न्यायालय आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 150 ..../विधि   सहरसा, दिनांक 05-1-2024

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता–सह–जिला, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा सेवा अपील वाद सं0–97/2022 में दिनांक–04.01.2024 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त मूल अभिलेख वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :– यथोपरि।

प्रतिलिपिः– निर्मल राम, पिता–प्रकाश राम, सा0–पटुआहा, वार्ड नं0–03, थाना+जिला–सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

for, प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४–फारम सं0–४६२ .

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

सेवा अपील वाद संख्या–97/2022

निर्मल राम.....अपीलकर्त्ता

–बनाम–

राज्य ..... रेसपॉण्डेन्ट

–:आदेश:–

प्रस्तुत सेवा अपील निर्मल राम, पिता–स्व0 प्रकाश राम, बर्खास्त उच्च वर्गीय लिपिक, तत्कालीन नाजीर, प्रखंड कार्यालय, कुमारखंड, मधेपुरा, सम्प्रति जिला योजना शाखा, मधेपुरा सा0–पट्टआहा, वार्ड नं0–03, थाना+जिला–सहरसा के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक–474–2/स्था0, दिनांक–17.06.2022तथा आदेश ज्ञापांक 475–2 /स्था0 दिनांक 17.06.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित, 2007 के नियम–14 (ix) में निहित प्रावधानानुसार "सेवा से बर्खास्तगी" का दण्ड अधिरोपित किया गया है तथा अंचल अधिकारी, कुमारखण्ड को अपीलार्थी से वसूली योग्य सूद सहित राशि मो0 1,17,13,750.07 रू0 की वसूली हेतु नीलाम–पत्र वाद दायर करने एवं उक्त राशि गबन के आरोप के लिए कुमारखण्ड थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया है।

संदर्भित मामला संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा के पत्रांक 67/आ0प्र0, दिनांक 27.01.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 695/आ0प्र0, दिनांक 05.10. 2015 द्वारा अंचल कार्यालय, कुमारखंड में वर्ष 2008–09 से रोकड़ बही की जाँच करने हेतु श्री मुकेश कुमार, वरीय उपसमाहर्त्ता, मधेपुरा की अध्यक्षता में जाँच दल गठन किया गया। जाँच दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री निर्मल राम, तत्कालीन नाजीर, अंचल कार्यालय कुमारखण्ड

सम्प्रति उ0वि0 लिपिक, जिला योजना शाखा, मधेपुरा (अपीलार्थी) के विरूद्ध मो0 42,86,552.01 रूपया वसूलनीय है। तदालोक में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 86-2/स्था0, दिनांक 28.01.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-9(क) के तहत अपीलार्थी श्री राम को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया तथा आदेश ज्ञापांक-124-2/स्था0 दिनांक 13.02.2016 से अपीलार्थी के विरूद्ध अंचल नजारत, कुमारखण्ड के रोकड़ पंजी का प्रभार नहीं सौंपने, सामान्य रोकड़ पंजी एवं बैंक स्टेटमेंट में अन्तर पाये जाने के आरोप में विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार, वरीय उपसमाहर्त्ता, मधेपुरा के उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हें अपने स्तर से आरोप प्रपत्र-"क" की एक प्रति आरोपी श्री राम को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा के पत्रांक 410-2/रा0, दिनांक 03.06.2016 से विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त अधिगम प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपी कर्मी (अपीलार्थी) पर 42,86,552.01 रूपया वसूलनीय होने का आरोप सही पाया गया। समाहरणालय, मधेपुरा के ज्ञापांक-521-2/स्था0, दिनांक 06.07.2016 से अपीलार्थी के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित करने हेतु संचालन पदाधिकारी, मधेपुरा के जाँच/अधिगम प्रतिवेदन की छायाप्रति मांगे जाने पर उन्हें समाहरणालय, मधेपुरा के ज्ञापांक 737-2/स्था0, दिनांक 12.09.2016 से उपलब्ध करायी गई। इसी बीच जिलाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 96/आ0प्र0, दिनांक 11.02.2016 से प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को महालेखाकार, बिहार, पटना को कुमारखण्ड अंचल में वित्तीय वष 2008-09 से कैशबुक का सही लेखन नहीं होने के कारण विशेष वित्त अंकेक्षण कराने का अनुरोध किया गया। तदालोक में वित्त विभाग के अंकेक्षण दल द्वारा विशेष अंकेक्षणोपरान्त अंचल अधिकारी, कुमारखण्ड के पत्रांक 1272-2 दिनांक 01.10.2021 द्वारा अंतिम रूप से मो0 48,30,870.72 रू0 (अइतालीस लाख तीस हजार आठ सौ सत्तर रू0 बहत्त पैसा) मात्र वसूली योग्य पाया गया। तत्पश्चात समाहरणालय, मधेपुरा के ज्ञापांक 761-2/स्था0, दिनांक 22.11.2021 द्वारा अपीलार्थी को उक्त वसूलनीय राशि जमा करने का निदेश दिया गया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.12.2021 को आवेदन पत्र के माध्यम से गबन की राशि जमा करने हेतु एक माह का समय मांगा गया। तदालोक में समाहरणालय, मधेपुरा के ज्ञापांक-5-1/स्था0, दिनांक-14.01.2022 द्वारा उन्हें एक माह का समय इस शर्त्त के साथ दिया गया कि उक्त अवधि तक गबनित राशि

समिति द्वारा अपीलार्थी से मो0 42,86,552.01 रूपया तथा अखिलेश्वर प्रसाद सिंह से 1,35,399.18 रूपया वसूलनीय प्रतिवेदित किया गया। उक्त समिति द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि रोकड़ बही, बैंक पंजी, चेकबुक पंजी तथा पारित विपत्रों की पंजी का रख-रखाव व्यवस्थित ढंग से नहीं किया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त प्रतिवेदन अपने आप में विरोधाभाषी है क्योंकि उक्त पंजियों के व्यवस्थित नहीं रहने के बावजूद वसूलनीय राशि का निर्धारण किस आधार पर किया गया है, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अपीलार्थी का कहना है कि दिनांक 26.03.2016 तक उक्त जाँच समिति के प्रतिवेदन की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गयी, जबकि उक्त समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ही उन्हें तथा अखिलेश्वर प्रसाद सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा का ज्ञापांक 206-2 दिनांक 13.02.2018 से उन्हें अंकेक्षण दल को अंचल कार्यालय, कुमारखण्ड के वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक के अंकेक्षण हेतु सहयोग करने का निदेश दिया गया, क्योंकि दिनांक 01.08.2008 से 31.03.2011 तक अपीलार्थी उक्त कार्यालय में नाजीर के रूप में कार्यरत थे। तत्पश्चात अंचल अधिकारी, कुमारखण्ड के ज्ञापांक 721-2 दिनांक 27.06.2019 से अपीलार्थी को 4,30,000/- रूपया जमा करने का निदेश दिया गया, जो राशि वकील राम पंचायत सेवक के द्वारा बाढ़ के वर्ष 2008 में जमा की गई तथा उक्त राशि का उल्लेख अपीलार्थी के द्वारा रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया। उक्त पत्र के क्रम में अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 05.08.2019 को अंचल अधिकारी, कुमारखण्ड को स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि 4,30,000/- के साथ 70,000/- रूपया मिलाकर कुल 5,00,000/-रू0 उनके द्वारा सच्चिदानन्द मंडल, तत्कालीन पंचायत सेवक को प्राप्त कराया गया, जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में न करके दैनिक अग्रिम पंजी में की गई है। दिनांक 07.08.2019 को अपीलार्थी द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को आवेदन समर्पित करते हुए मो0 8,68,544/-रू0 के असमायोजित अभिश्रव, जो कार्यालय में रखा हुआ है, को समायोजित करने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी का यह भी कहना है की उन्हें विभागीय कार्यवाही के दौरान स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण उनके द्वारा अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा जा सका।

अपीलार्थी का कहना है कि एक ही आदेश से उन्हें तथा अखेलश्वर प्रसाद सिंह को निलंबित किया गया, किन्तु अखेलश्वर प्रसाद सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं संचालित की गयी। अनुसूचित

समिति द्वारा अपीलार्थी से मो0 42,86,552.01 रूपया तथा अखिलेश्वर प्रसाद सिंह से 1,35,399.18 रूपया वसूलनीय प्रतिवेदित किया गया। उक्त समिति द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि रोकड़ बही, बैंक पंजी, चेकबुक पंजी तथा पारित विपत्रों की पंजी का रख-रखाव व्यवस्थित ढंग से नहीं किया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त प्रतिवेदन अपने आप में विरोधाभाषी है क्योंकि उक्त पंजियों के व्यवस्थित नहीं रहने के बावजूद वसूलनीय राशि का निर्धारण किस आधार पर किया गया है, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अपीलार्थी का कहना है कि दिनांक 26.03.2016 तक उक्त जाँच समिति के प्रतिवेदन की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गयी, जबकि उक्त समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ही उन्हें तथा अखिलेश्वर प्रसाद सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा का ज्ञापांक 206-2 दिनांक 13.02.2018 से उन्हें अंकेक्षण दल को अंचल कार्यालय, कुमारखण्ड के वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक के अंकेक्षण हेतु सहयोग करने का निदेश दिया गया, क्योंकि दिनांक 01.08.2008 से 31.03.2011 तक अपीलार्थी उक्त कार्यालय में नाजीर के रूप में कार्यरत थे। तत्पश्चात अंचल अधिकारी, कुमारखण्ड के ज्ञापांक 721-2 दिनांक 27.06.2019 से अपीलार्थी को 4,30,000/- रूपया जमा करने का निदेश दिया गया, जो राशि वकील राम पंचायत सेवक के द्वारा बाढ़ के वर्ष 2008 में जमा की गई तथा उक्त राशि का उल्लेख अपीलार्थी के द्वारा रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया। उक्त पत्र के क्रम में अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 05.08.2019 को अंचल अधिकारी, कुमारखण्ड को स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि 4,30,000/- के साथ 70,000/- रूपया मिलाकर कुल 5,00,000/-रू0 उनके द्वारा सच्चिदानन्द मंडल, तत्कालीन पंचायत सेवक को प्राप्त कराया गया, जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में न करके दैनिक अग्रिम पंजी में की गई है। दिनांक 07.08.2019 को अपीलार्थी द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को आवेदन समर्पित करते हुए मो0 8,68,544/-रू0 के असमायोजित अभिश्रव, जो कार्यालय में रखा हुआ है, को समायोजित करने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी का यह भी कहना है की उन्हें विभागीय कार्यवाही के दौरान स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण उनके द्वारा अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा जा सका।

अपीलार्थी का कहना है कि एक ही आदेश से उन्हें तथा अखेलश्वर प्रसाद सिंह को निलंबित किया गया, किन्तु अखेलश्वर प्रसाद सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं संचालित की गयी। अनुसूचित

जाति का गरीब कर्मी होने के कारण उनके विरूद्ध विभगीय कार्यवाही संचालित कर उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु वांछित कागजात उपलब्ध कराय बिना उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। इतना ही नहीं गरीब दलित समुदाय से होने के कारण ही कई बार आवेदन दिये जाने पर भी उन्हें नियमानुसार निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वहन भत्ता तक का भुगतान नहीं किया गया। तदालोक में अपीलार्थी के द्वारा न्यायहित में उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने तथा उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों के परिशीलनोपरांत परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(4) के आलोक में विभागीय कार्यवाही के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु तथा गबनित राशि के समायोजन हेतु वांछित कागजात उपलब्ध नहीं काराया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के भी विरूद्ध है। तदालोक में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश को रद्द किया जाता है तथा इस मामलें को पुनर्प्रेषित करते हुए उन्हें आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को सभी वांछित कागजातो की प्रति उपलब्ध कराते हुए अपीलार्थी को गबनित राशि के समायोजन तथा अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देते हुए पुनर्सुनवाई उपरांत उचित आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।